

न्यायिक हलचल की वार्षिक समीक्षा

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: 2024 का लेखाजोखा

DEC 30



READ IN APP ↗



IJR के 5 वर्ष: जो हमने समझा और सीखा

पहली 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' नवंबर 2019 में 'टाटा ट्रस्ट' के सहयोग से पब्लिश हुई थी।



‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि न्याय व्यवस्था की क्षमताओं की जानकारी को लोकतांत्रिक बनाया जाए ताकि यह पता चले कि यह व्यवस्था वो सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है, जो इसके लिए निर्धारित हैं। वैसे, हम अक्सर सोचते हैं कि न्याय व्यवस्था से हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। यह सिर्फ उनके मतलब की है, जो सीधे इससे रूबरू होते हैं, जैसे: वह विचाराधीन कैदी, जो कानूनी तौर पर तो ‘निर्दोष’ है, लेकिन उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। या जिला अदालत में काम के बोझ तले दबा जज या फिर अपनी ड्यूटी में लगा कॉन्स्टेबल। लेकिन सच यह नहीं है। न्याय व्यवस्था की जड़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सभी पहलुओं को प्रभावित करती ही हैं।




बीते पांच वर्षों के दौरान, हमने अपनी संभावनाओं को विस्तार देकर, अपने ज्ञान को समृद्ध करते हुए, भारत में न्याय व्यवस्था को पारदर्शी, सुलभ और सक्षम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए लगातार कोशिशें की हैं।

मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद हम लगातार आगे बढ़ते रहे। कई चुनौतियां सामने आने और बेहतर रुझान न दिखने के बावजूद, हम आंकड़े जुटाने, समाधानों की सटीक पहचान करने और पॉलिसी मेकर्स और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मिलकर सबको संविधान प्रदत्त स्वतंत्र, निष्पक्ष और समान तौर पर न्याय दिलाने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस सफर में हमारे साझेदार, समर्थक, पक्षधर और डोनर्स सभी हमारे मार्गदर्शक बने। इन्होंने हमें संसाधन, अहम जानकारियां और सरकार और सिविल सोसाइटी में शामिल समान सोच रखने वाले लोगों और संस्थाओं से संबंध बनाने के अवसर दिए। हम उन सबके आभारी हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं।

सुलभता: हमारी कोशिश डेटा संकलित करने, उसका विश्लेषण करने और सबसे बढ़कर इसे सरल भाषा में प्रस्तुत करने की है, ताकि यह दिखाया जा सके कि न्याय प्रणाली कैसे काम करती है। हमारी टीम यह सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि हमारी रिपोर्ट का डेटा सबके लिए उपलब्ध हो। इसके लिए हमने अपनी रिपोर्ट और स्टेट फैक्टशीट का हिंदी, मराठी और तमिल समेत 8 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया ताकि न्याय व्यवस्था की समझ को व्यापक बनाने में भाषाई अड़चन न आए। सभी स्रोतों से जमा किया गया डेटा भी हमारी वेबसाइट- www.indiajusticereport.org पर सबके डाउनलोड और इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध है।




बार ग्राफ में 3 IJRs में बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश में महिला पैनेल लॉयर्स की भागीदारी देखी जा सकती है।

पारदर्शिता: जानकारी पर सबका हक है, इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए यह रिपोर्ट सूचना के अधिकार (RTI) का लगातार इस्तेमाल कर उस जानकारी को हासिल करती है, जिसे सार्वजनिक और सर्वसुलभ होना चाहिए। हमारी टीम ने 2019 से ही, अपनी तीन मुख्य रिपोर्टों और विशेषांकों के लिए 2000 से ज्यादा RTI आवेदन फाइल किए।

जवाबदेही: बदलाव के अपने सिद्धांत के अनुसार, हमारी टीम न्याय व्यवस्था में शामिल अहम स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद करती रहती है। इसमें डेटा कलेक्शन और उसके वेरिफिकेशन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए पॉलिसी लेवल पर राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख कई संस्थानों के साथ संवाद भी किया जाता है। इनमें कानून और न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) आदि शामिल हैं।

हमारे पांच वर्षों की झलक: जस्टिस डिलीवरी की नब्ज की पड़ताल

न्याय व्यवस्था के विकासक्रम में पांच साल का समय पलक झपकने जैसा है। बहरहाल, जिन अहम चीजों ने लंबे समय से इस व्यवस्था पर दुष्प्रभाव डाला है, उनमें राज्य की इच्छाशक्ति, राजनीतिक-आर्थिक दबाव और सामाजिक परिस्थितियां शामिल हैं। बावजूद इसके, 2019 से IJR कलेक्टिव ने देश की न्याय व्यवस्था में कई स्पष्ट ट्रेंड देखे हैं, जो आने वाले समय में क्षमता में बदलाव का संकेत देते हैं।



5 वर्षों में जेलों में क्षमता के मुकाबले कैदियों की संख्या बढ़ती गई	उच्च न्यायपालिका और निचली अदालतों में जजों की वैकेंसी बरकरार	देश भर में राज्य मानवाधिकार आयोगों में प्रमुख पदों पर नियुक्तियां नहीं हुईं	विचाराधीन कैदियों का अनुपात बढ़कर 76% तक पहुंच गया
फॉरेंसिक लैब में आधे से ज्यादा कर्मचारियों के पद खाली रहे	प्रति पुलिसकर्मी पर आबादी का अनुपात बढ़ा यानी सिविल पुलिस पर वर्कलोड ज्यादा हो गया	राज्यों में पैनल लॉयर्स और पैरालीगल वॉलनटियर्स की संख्या में लगातार कमी	

इससे हटकर कुछ और झलकियां...

हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्याय देने की क्षमता में आने वाले सुधार और कमियों को लेकर लगातार जानकारियां जुटा रहे हैं। यह 2025 में 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के चौथे अंक में देखने को मिलेगा।

2024 में हमारी टीम ने विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारी की; जस्टिस डिलीवरी के अनछुए क्षेत्रों में अध्ययन के विस्तार की संभावनाएं टटोलीं, जिसे आने वाले वर्षों में जारी किया जाएगा और नए अनुभव और विशेषज्ञता को शामिल कर टीम को मजबूत किया।

...हमने नए क्षेत्रों में भी विस्तार किया

बजट फॉर जस्टिस

बजट अध्ययन का मकसद, राज्यों द्वारा न्याय व्यवस्था के विभिन्न अंगों के लिए किए गए आवंटन पर ज्यादा और गहन जानकारी देना है। इस अध्ययन के लिए 10 राज्यों का चयन किया गया, जिनके वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में पुलिस, जेल, न्यायपालिका, कानूनी सहायता और फॉरेंसिक्स के लिए जारी बजट का विश्लेषण किया गया। राज्य के बजट दस्तावेज से न्याय व्यवस्था के अलग-अलग स्तंभों की मदों में आवंटन और उनके उपयोग की जानकारी मिलती है।

जुवेनाइल जस्टिस

इस अध्ययन के जरिए जुवेनाइल के लिए काम करने वाले संस्थानों में नियमानुसार इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। हमने सूचना के अधिकार (RTI) के लगभग 200 आवेदन छह राज्यों के विभिन्न संस्थानों को भेजे, जिनमें पुलिस, डिटेन्शन इंस्टीट्यूशन, लीगल ऐड और सभी राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी शामिल हैं।

कन्ज्यूमर फोरम

IJR कन्ज्यूमर फोरम के केसों के लिए एक इंटरएक्टिव वेबपेज बनाने के साथ ही ऐसी व्यवस्थित जानकारी देने की कोशिश कर रहा है जो नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, न्यायाधीशों, वकीलों और उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी हो। हर जिले में केसों के निपटारे की दर, सुनवाई की संख्या, प्रत्येक जज के पास लंबित मामले और यहां तक कि नाम से केस ढूँढने जैसी जानकारी प्राप्त करने की सुविधाओं के साथ यह वेबपेज काफी उपयोगी साबित होगा।

IJR 4 को तैयार करने के लिए हमने नए साझेदार बनाए, स्टैकहोल्डर्स से मशविरा किया और अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया, ताकि हमारी आगामी रिपोर्ट में पूरे देश की न्याय व्यवस्था की बारीकियों और जटिलताओं, दोनों की सटीक झलक मिल सके। इसके अलावा, IJR के इस अंक में हमने, लीगल ऐड, जुवेनाइल जस्टिस, SHRC और

कन्ज्यूमर राइट्स की जानकारीयां हासिल करने के लिए 370 RTIs फाइल कीं। इस अंक पर काम करने के दौरान पारदर्शिता और तथ्यों पर आधारित जानकारीयां सामने लाने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

IJR के लिए 2024 साझेदारी, प्रगति और जस्टिस डिलीवरी के अनुभव को समृद्ध करने का वर्ष रहा

इस वर्ष हम विभिन्न मंचों पर भागीदारी करने से लेकर उनके आयोजन तक में शामिल रहे। इनमें कॉन्फ्रेंस, गोष्ठी, वेबिनार और प्रजेंटेशन आदि कार्यक्रम शामिल हैं और इस दौरान हमने न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर सार्थक संवाद किया।

डेटा और न्याय व्यवस्था में सुधार

1. डेटा फॉर जस्टिस: भारत में क्रिमिनल जस्टिस पर गोष्ठी

डेटा फॉर जस्टिस
भारत में क्रिमिनल जस्टिस पर गोष्ठी
दिनांक: 7 और 8 सितंबर 2024

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLU) की 'एस.के. मलिक चेयर ऑन एक्सेस टू जस्टिस' के साथ मिलकर हमने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 7-8 सितंबर 2024 को दो दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया।

गोष्ठी में 'क्रिमिनल जस्टिस में डेटा का महत्व', 'डेटा कलेक्शन के तरीके', 'क्रिमिनल जस्टिस के आधिकारिक आंकड़े हासिल करने में चुनौतियां' और 'सुधार की नीतियों में बिग डेटा की भावी भूमिका' जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। हमारे प्रतिष्ठित पैनलिस्ट में जस्टिस (रिटायर्ड) एस. मुरलीधर, महेश व्यास, प्रो. अश्विनी देशपांडे, अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरन और प्रो. मोहन गोपाल आदि जैसे विशेषज्ञ शामिल हुए।

इस गोष्ठी की हाइलाइट्स को इस रील में भी देखा जा सकता है।

2. जेल व्यवस्था पर गोष्ठी

ASIAN COLLEGE OF JOURNALISM

India Justice Report

जेल व्यवस्था पर गोष्ठी

दिनांक: 5 अक्टूबर 2024

IJR ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म (ACJ) के साथ मिलकर ACJ चेन्नई कैंपस में 5 अक्टूबर 2024 को यह गोष्ठी आयोजित की। यहां हमारे पैनलिस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस मुक्ता जे. गुप्ता और उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर थे। इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रभाव और जेल सुधार जैसे विषयों पर अपनी बात रखी।

3. आंकड़ों के जरिए जेलों में सुधार की कोशिश

iS. IndiaSpend

India Justice Report


आंकड़ों के जरिए जेलों में सुधार की कोशिश

दिनांक: 19 मार्च 2024

जस्टिस एस. मुरलीधर पूर्व चीफ जस्टिस, उड़ीसा हाई कोर्ट	मीरन बोरवणकर पूर्व महानिदेशक, BPR&D	प्रो. विजय राघवन प्रोफेसर, TISS, मुंबई	माया दारूवाला मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

IJR ने **इंडिया स्पेंड** के साथ मिलकर 19 मार्च 2024 को यह **वेबिनार** आयोजित किया। इस वेबिनार में उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर, BPR&D की पूर्व महानिदेशक IPS (रिटायर्ड) डॉ. मीरन बोरवणकर और स्कूल ऑफ सोशल वर्क, TISS, मुंबई में क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस के प्रोफेसर डॉ. विजय राघवन के बीच पैनल डिस्कशन हुआ। इस चर्चा की मॉडरेटर हमारी मुख्य संपादक माया दारूवाला रहीं।

4. IJR की टीम को नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए भारत सरकार के 'India@2047' मिशन जैसी ही रूपरेखा तैयार करने के लिए आमंत्रित किया। IJR और इसके सहयोगी संगठन 'विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' को राज्यों में सुधार के क्षेत्रों को चिह्नित करने और 'विजन 2047' विकसित करने के लिए बुलाया गया था।
5. कानून और न्याय मंत्रालय ने IJR की टीम को केंद्र सरकार की फंडिंग वाली जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया।
6. IJR की मुख्य संपादक को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से प्रशिक्षुओं के साथ चर्चा करने के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने न्याय व्यवस्था और इसके आंकड़ों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए ताकि उन्हें भी आंकड़ों की वास्तविक समझ मिल सके।
7. IJR की टीम ने 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' की जानकारियों को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ साझा किया।
8. IJR लीड ने अहमदाबाद में 'सेंटर फॉर सोशल जस्टिस' की रिपोर्ट लॉन्च होने के मौके पर IJR के जस्टिस डिलीवरी के अनुभवों को बांटा।
9. 'विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' ने जुलाई 2024 में 'क्राइम एंड पनिशमेंट' सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भी 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' की जानकारियों को प्रदर्शित किया गया।
10. हमें 'कॉमन कॉज' के साथ शिव नाडर यूनिवर्सिटी (डीम्ड) में स्टूडेंट्स को देश के कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए भी आमंत्रित किया गया।



देश की न्याय व्यवस्था की वास्तविकता को सामने लाने की अपनी कोशिशों के लिए हमने कई संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया से लेकर पॉडकास्ट, विभिन्न समाचार पत्रों और वेबसाइटों में लेख लिखने और उन्हें जस्टिस डिलीवरी के आंकड़े उपलब्ध कराने तक IJR की टीम ने जस्टिस डिलीवरी को बहस का मुद्दा बनाने और इस दिशा में जरूरी सुधारों के लिए लगातार काम किया।

हम इस साल अपनी वेबसाइट में राज्यों की आपस में तुलना के लिए नए टूल भी लाए, ताकि अपने यूजर्स को आसानी से ज्यादा जानकारी उपलब्ध करा पाएं।



वेबसाइट विजिट्स

यूनीक पेज व्यूज:

70,000+

हमारी वेबसाइट पर आए 70,000 से ज्यादा पेज व्यूज दिखाते हैं कि हमारे काम को लेकर लोगों में रुचि बढ़ रही है।



सोशल मीडिया पर हमारी बढ़ती मौजूदगी

X पर इंप्रेसन: 85,000+


X पर इंटरैक्शन: 4,500+

हमारी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बढ़ती मौजूदगी हमारे काम के प्रभाव को रेखांकित करती है।

इस साल हमने, पॉडकास्ट की दुनिया का भी अनुभव लिया ताकि हम अपनी बात नए माध्यम से कह सकें और नए श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचा सकें:



...क्योंकि सुनना भी जरूरी है...



‘रोहिणी नीलेकणि फिलैनथ्रोपीज’ के पॉडकास्ट पर, जेलों, न्याय व्यवस्था की असफलताओं का स्मारक बन गई हैं

‘दक्ष इंडिया’ के पॉडकास्ट पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की कहानी

हमने पूरे वर्ष खबरों में अपनी उपस्थिति और समाज में सार्थक बहस दर्ज कराई!



हम मीडिया के जरिए जस्टिस
डिलीवरी की आवाज उठाते रहे...

दैनिक भास्कर

hindustantimes



The Indian EXPRESS

THE WIRE

INDIA TODAY

THE TIMES OF INDIA

Bar and Bench

LIVE LAW. IN
ALL ABOUT LAW

INDIAN LEGAL NEWS

हिन्दुस्तान

iS. IndiaSpend



उद्धरण

- झारखंड हाई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में JHALSA को देश में शीर्ष रैंक मिलने पर IJR का हवाला दिया।
- कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने लोक सभा में पेश अपनी 143वीं रिपोर्ट में IJR के आंकड़ों का हवाला दिया।
- तमिलनाडु के कानून मंत्री एस. रघुपति ने विधानसभा में जेलों की स्थिति पर बहस में IJR के आंकड़ों का उल्लेख किया।
- कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के जरिए राज्य पुलिस की देश में शीर्ष रैंक का हवाला दिया।

और हमारी टीम भी बढ़ी!



निधा परवीन
रिसर्च एसोसिएट



भारत सिंह
मीडिया सलाहकार



सौम्या श्रीवास्तव
रिसर्च एसोसिएट



सरब लांबा
रिसर्चर

यह वर्ष पूरा होने को है और हम इस मौके पर हमारे हमसफर रहे हमारे सहयोगियों, समर्थकों और पाठकों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हम सबने साथ मिलकर, न्याय और बराबरी के लिए एक सार्थक मुहिम छेड़ी है। नए वर्ष में भी एक बेहतर मकसद के लिए हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, इसी कामना के साथ...

आप सभी को एक समृद्ध और सार्थक नववर्ष की शुभकामनाएं!

-इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम

Website- indiajusticereport.org

X- @IJRranking



A year to ensure finding justice **isn't** so difficult...

India Justice Report is free today. But if you enjoyed this post, you can tell India Justice Report that their writing is valuable by pledging a future subscription. You won't be charged unless they enable payments.

Pledge your support

